डॉ० पि० के गुप्ता v/s सरकार 38/2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/1/020	वकील अपीलांट व पेशेवकार सरकार उप०। आज अभिभाषक परिषद द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखा गया है। P.O.सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 5/2/020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/2/020	वकील अपीलांट व पेशेवकार सरकार उप०। P.O.सा. राजकार्य से जयपुर पधारे है। पत्रावली दिनांक 25/2/020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/2/020	वकील अपीलांट व पेशेवकार सरकार उप०। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/3/020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/3/020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। परिणामस्वरूप अपील स्वीकार पेश नहीं करने के दोष एवं प्रचलित आधार की जाकर खारिज होने से अपील अस्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली नियमानुसार जाकर ... किया जावे। बाद मुनासिब ... से काम किया जावे। बाद तामील ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर कोटा	

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 38/2010 (अपील)

डा0 पी0के0 गुप्ता (क्षैत्रीय निदेशक) जोनल डायरेक्टर रिसर्व एग्रीकल्चर स्टेशन उम्मेदगंज, कोटा जरिये प्रभारी अधिकारी डॉ0 प्रमोद दसोरा

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा दिनांक 23.12.2009, प्रकरण सं0 1450/2009, अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट

उपस्थिति

श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–27.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने ग्राम धाकड़खेडी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम धकड़खेडी की आराजी खसरा नम्बर 901 की 4.00 हे0 तथा 901/1050 की 0.25 हे0 कुल 4.26 हे0 किस्म शमशान में संवत 2065 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 1450/2009 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाने के आदेश एवं 6800/– रूपये की शास्ति के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 23.12.2009 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 12.03.2010 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर पटवारी हल्का धाकड़खेडी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम धाकड़खेडी की आराजी ख0नं0 901 की 4.00 हे0, तथा 901/1050 की 0.25 हे0 कुल 4.25 हे0 आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए 6800/– तावान कायम कर बेदखली आदेश पारित किये है, साथ ही जब्ती का आदेश दिया है, जो कि विधिविरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है । कृषि

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

यान्त्रिक फार्म उम्मेदगंज को जो भूमि राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई थी और जिस पर दखल दिया गया था, तब से आज दिन तक निरन्तर वहीं पर वह काबिज है और मौके पर पूर्ववत यथावत काबिज है । सेटलमेंन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की है जो परिवर्तन करने का सेटलमेंट को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था और सेटलमेंट द्वारा किया गया इस प्रकार का कृत्य कानूनन शुरू से ही प्रभावशून्य है, और स्थिति पूर्ववत ही मानी जावेगी, ऐसी सूरत में अपीलांट बहैसियत खातेदार भूमि पर काबिज है, और इसलिये उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजर अन्दाज कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो शमशान की भूमि है वह पूर्ववत खाली है और जो कृषि यांत्रिक फार्म उम्मेदगंज की भूमि है उस पर काश्त हो रही है और शमशान का इतना रकबा नही है क्योंकि शमशान जिस जगह पर विद्यमान है, वह स्थान शमशान के काम में ही आ रहा है और उस पर अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, और ऐसी स्थिति में अतिक्रमण की कार्यवाही कानूनन स्थगित की जाना चाहिये थी जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । उक्त जैर अपील निर्णय की प्रथम जानकारी पटवारी हल्का के द्वारा वसूली हेतु आने व निर्णय के बाबत दिनांक 7.2.2010 को बताने पर हुई । जिस पर दिनांक 8.2.2010 को नकल निर्णय हेतु आवेदन पेश करने पर दिनांक 10.3.2010 को नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील पेश की जा रही है जो जानकारी की तिथि से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.12.2009 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर पटवारी हल्का धाकड़खेडी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम धाकड़खेडी की आराजी ख0नं0 901 की 4.00 हे0, तथा 901/1050 की 0.25 हे0 कुल 4.25 हे0 आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए 6800/– तावान कायम कर बेदखली आदेश पारित किये है, साथ ही जब्ती का आदेश दिया है, जो कि विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है । कृषि यान्त्रिक फार्म उम्मेदगंज को जो भूमि राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई थी और जिस पर दखल दिया गया था, तब से आज दिन तक निरन्तर वहीं पर वह काबिज है और मौके पर पूर्ववत काबिज है । सेटलमेंन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की है जो परिवर्तन करने का सेटलमेंट को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था और सेटलमेंट द्वारा किया

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

गया इस प्रकार का कृत्य कानूनन शुरू से ही प्रभावशून्य है, और स्थिति पूर्ववत ही मानी जावेगी, ऐसी सूरत में अपीलांट बहैसियत खातेदार भूमि पर काबिज है, और इसलिये उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजर अन्दाज कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.12.2009 निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर अतिक्रमण साबित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। जो उचित है । अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

6. हमने वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी व बहस पर मनन किया । न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम धाकड़खेडी के ख0नं0 901 की 4.85 हे0 एवं ख0नं0 901/1050 की 0.25 हे0 भूमि गे.मु. शमशान घाट के नाम सिवायचक दर्ज है । जिसमें से ख0नं0 901 रकबा 4.85 हे0 में से 4.00 हे0 भूमि पर व ख0नं0 901/1050 रकबा 0.25 हे0 भूमि पर फसल सरसों अतिक्रमी पी.के. गुप्ता क्षैत्रीय निदेशक यांत्रिकी कृषि फार्म उम्मेदगंज ने बोई है । वकील अपीलांट का कहना है कि कृषि यान्त्रिक फार्म उम्मेदगंज को जो भूमि राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई थी और जिस पर दखल दिया गया था, तब से आज दिन तक निरन्तर वहीं पर वह काबिज है और मौके पर पूर्ववत यथावत काबिज है । सेटलमेंन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की है । हम यहां वकील अपीलांट के कथनों से सहमत नहीं है कि सेटलमेंट द्वारा किस्म परिवर्तन किया है, राज्य सरकार द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उम्मेदगंज फार्म के नाम से ग्राम धाकड़ खेडी के ख0नं0 350,379,396,397,415,416,417 की कुल 76 बीघा भूमि विभाग के नाम है जिस पर कब्जा भी इन्ही का ही है । ऐसी स्थिति में ग्राम धाकड़खेडी के ख0नं0 901 की 4.85 हे0 एवं ख0नं0 901/1050 की 0.25 हे0 भूमि गे.मु. शमशान घाट के नाम सिवायचक पर अपीलांट का होना जाहिर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 23.12.2009 से की गई कार्यवाही में हम कोई दोष नहीं पाते है । तथा अपील अस्वीकार की जाकर खारिज योग्य है ।

7. अतः अपीलान्ट द्वारा अ़पील स्वीकार करने के लिए पर्याप्त एवं ठोस आधार पेश नहीं किया जाने अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.2009 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, कोटा
कोटा

Scanned by CamScanner